न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 285 / 2023

उनवान

1. आयुष गर्ग पुत्र श्री सज्जन कुमार गुप्ता उम्र 24 वर्ष जाति महाजन निवासी इण्डस्ट्रीयल एरिया वार्ड नं. 4 नीमकाथाना।

.......प्रार्थी.......

बनाम

1. भूमिधारी जरिये श्री तहसीलदार नीमकाथाना ।

......अप्रार्थी.....

<u>प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

<u>अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थित :– 1. श्री राम गोपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी

निर्णय दिनांक :–05.09.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस प्रकार है कि भूमि ख. नं. 131 रकबा 1.50 हैक्टेयर ग्राम खड़गबीजपुर पटवार हल्का दरीबा की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने इस भूमि ख.न. 131 को इससे लगती हुई अन्य भूमियों के मूल खातेदार देवासिंह पुत्र लिछमण सिंह राजपुत निवासी भराला से विक्रय पत्र से क्रय की है। भूमि ख0न0 131 रकबा 1.50 हैक्ट. का पुराना ख0न0 98 रकबा 1.50 हैक्ट. था। पुराना ख0न0 98 सहित अन्य भूमिया पुराना ख0न0 71, 72, 73, 75, 79, 80, 87, 89, 91, 106, 108 कुल किता 13 रकबा 24 बीधा 5 बिस्वा देवासिंह पुत्र लिछमण सिंह राजपुत निवासी भराला के नाम दर्ज रही है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

देवा सिंह से ही प्रार्थी ने गत ख.न. 98 हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 1.50 हैक्ट. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। देवी सिंह पुत्र लिछमण सिंह हो उक्त भूमियां विरासत से प्राप्त हुई है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव मे आने के समय से ही उक्त भूमियां देवी सिंह के दादा रोतान/शैतान सिंह पुत्र छाजु सिंह के नाम दर्ज नही है जो बाद में विरासत से उनके पिता लिछमण सिंह व तत्पश्चात विक्रेता देवी सिंह के नाम दर्ज हुई है। उक्त भूमियां सदैव से ही एक जाव व पास–पास रही है व आज भी मौके पर एक जाव व पास–पास ही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि क्रय करते वक्त विक्रेता द्वारा कब्जा सड़क के समीप व विक्रेता की अन्य भूमियां जो विक्रेता ने अनिल कुमार आदि को बेचान की है के लगते हुये दिया गया है। उक्त तथ्यों का उल्लेख विक्रय पत्र में भी किया गया है। पटवारी हल्का से नकल लेने व ऑन लाईन नक्शा देखने पर जानकारी हुई कि प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा भूमि ख.न. 131 को मौका स्थिति से विपरीत अन्य स्थान पर दिखा रखा है जहां न तो प्रार्थी का कब्जा है एवं न ही विक्रेता का कब्जा रहा है। प्रार्थी व विक्रेता का कब्जा सलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि पर है। उक्तानुसार दुरूस्ती किया जाना आवयश्यक व न्यायोचित है। नक्शा दुरूस्ती हेतु पटवारी हल्का व तहसीलदार नीमकाथाना ने दुरूस्ती हेतु बिल्कुल इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती कराने हेतु कहां गया जिस कारण कॉज आफ एक्शन उत्पन्न हुआ। प्रार्थी सदभावी क्रेता है जिसने राज्य सरकार समस्त शुल्क अदा कर अपनी समस्त जमा पुंजी से यह भूमि क्रय की है। दुरूस्ती नही होने से प्रार्थी को भारी हक तलफी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं ग्राम खड़गबीजपुर पटवार हल्का दरीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 1.50 हैक्ट. किस्म बारानी 3 की राजस्व नक्शें में दुरूस्ती कब्जे अनुसार (सलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि) करने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजुद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार नीमकाथाना की और से मौका की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि पुराने खसरा नम्बर 98 रकबा 1.50 हैक्ट. नये खसरा नं. 131 रकबा 1.50 हैक्टेयर ग्राम खड़गबीजपुर पटवार हल्का दरीबा का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। यह भूमि प्रार्थी ने पूर्व खातेदार देवासिंह पुत्र लिछमण सिंह राजपुत निवासी भराला से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। पुराना ख0न0 98 सहित अन्य भुमिया किता 13 रकबा 24 बीधा 5 बिस्वा देवासिंह पुत्र लिछमण सिंह राजपुत निवासी भराला के नाम दर्ज रही है। भूमि देवा सिंह की पैतृिक एवं मौके पर एक जाव के रूप में पास पास ही रही है। प्रार्थी को विक्रेता ने कब्जा भी सड़क के समीप अन्य भूमियां जो विक्रेता ने अनिल कुमार वगै0 को बेचान की है के लगते हुये दिया गया है। जिसका उल्लेख विक्रय पत्र में भी किया गया है। विक्रय पत्र भी पेश किया है। तहसीलदार जी ने भी बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश ही है तथा तरमीम दुरूस्ती की अभिशंषा की है जिससे भी मेरा प्रार्थना पत्र पूर्णत्या सिबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दुरूस्ती के आदेश दिये जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज, नई पुरानी जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, विक्रय पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2075–2078 ग्राम खड़गबीजपुर के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख. नं. 131 रकबा 1.50 है. का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार देवासिंह पुत्र लिछमणसिंह राजपुत निवासी महावा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। विक्रय पत्र में विक्रेता ने कब्जे के सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे द्वारा पूर्व में विक्रय भूमि से लगता हुआ सड़क पर कब्जा क्रेता को सम्मला दिया है। प्रस्तुत रिकार्ड से यह भी जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि के साथ साथ अन्य भूमिया देवासिंह की पैतृिक भूमि रही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दरीबा एवं तहसीलदार नीमकाथाना ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त समस्त

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

भूमियां मौके पर एक जाव है एवं मौके पर सभी खसरा नम्बर एक दुसरे से सटे हुये है जबकि हाल नक्शे में प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि ख.न. 131 को मौके से अलग जगह पर दिखा रखा है वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा अनिल कुमार वगैरह की भूमियों के सटते हुये व सड़क के समीप है सलग्ंन नक्शें अनुसारलाल रंग से दर्शित स्थान ख.न. 116 रकबा 1.02 हैक्ट एवं ख.न. 119 रकबा 1.08 हैक्ट. में से 0.48 हैक्ट. सिवाय चक भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। वर्तमान व गत खातेदार का कब्जा इसी स्थान पर रहा है। प्रकरण में राजकीय भूमि का कोई रकबा/क्षैत्रफल प्रभावित नही हो रहा है बल्कि मौके अनुसार सिवाय चक भूमि की तरमीम भी दुरूस्त हो रही है। सलग्ंन नक्शें में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार तरमीम किया जाना उचित बताया है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का दरीबा, तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 के तहत काबिले दुरूस्ती पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खड़गबीजपुर पटवार हल्का दरीबा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि ख0न0 131 रकबा 1.50 है0 किस्म बारानी 3 की तरमीम मौका अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट के सलग्ंन नक्शा परिशिष्ट–1 में लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान खसरा नम्बर 116 रकबा 1.02 हैक्ट. सम्पूर्ण व ख.न. 119 रकबा 1.02 हैक्ट में से 0.48 हैक्ट. पर की जाकर नक्शे में दुरूस्ती करें तथा जहां खसरा नम्बर 131 रकबा 1.50 है. की नक्शे में तरमीम दर्ज है उस स्थान को सिवाय चक भूमि दर्ज कर तरमीम दुरूस्ती करें। तदनुसार पालना हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को निर्णय व नक्शा परिशिष्ट – 1 की प्रति तहरीर के साथ भेजी जावें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)